राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 868वी बैठक दिनांक 14.02.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 868वी बैठक दिनांक 14.02.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :–

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्रीमती आर. उमा माहेश्वरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11175/2024	1(a)	सतना	बॉक्साईट खदान	**पूर्व पर्यावरण स्वीकृति**	**पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित**
2.	10260/2023	1(a)	सिंगरौली	गोल्ड ब्लॉक	**पूर्व पर्यावरण स्वीकृति**	**पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित**
3.	553/2010	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	**निरस्त पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण का आवेदन**	**SEIAA की 853वी बैठक दिनांक 22.05.2024 का निर्णय यथावत**

1. Case No 11175/2024 Shri Sanjay Rai, Owner, R/o Hotel Utsav Vilas, Sar Vallabh Bhai Patel Bridge, Hridaypur, District-Damoh (MP)-470661, Prior Environment Clearance for Baruyee Bauxite Quarry in an area of 9.049 ha. (Bauxite-58970 Ton/Year , Laterite-52836 Ton/Year , OB-4718 cum per year) (Khasra No. 64/1), Village-Barua, Tehsil-Majhgawan, District-Satna (MP) [518134] (EIA).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्रानुसार अंतराज्यीय सीमा की दूरी खनन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर होना बताया गया है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अंतराज्यीय सीमा की सही दूरी क्या है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा कलेक्टर सतना से अंतराज्यीय सीमा की

(आर. उमामहेश्वरी)	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)	(शिव नारायण सिंह चौहान)
सदस्य सचिव	सदस्य	अध्यक्ष

दूरी खनन क्षेत्र से कितने किलोमीटर पर है का अभिप्रमाणीकरण करवाकर 15 दिवस के अंदर प्रस्तुत किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भू–सहमति में उल्लेख है कि उक्त भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 31.12.2024 के पूर्व करा ली जावेगी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त भूमि की रजिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत करें।

III. SEAC समिति द्वारा प्रकरण के कार्यवाही विवरण दिनांक 28.01.2025 में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में डिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति के पुर्नमूल्यांकन का है, किन्तु प्रकरण में डिया की पर्यावरण स्वीकृति संलग्न नहीं है। अतः SEAC समिति उपर्युक्त तथ्य के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

2. **Case No 10260/2023 -** Shri Vikas Sharma, Director, M/s Garima Natural Resources Private Limited, R/o Shop No. 150, 106, 2nd Floor, Shri Ram Heritage, Netaji Chowk, Katora Talab, District-Raipur (MP)-492001, Prior Environment Clearance for Chakariya Gold Block in an area of 23.57 ha. (Gold-12553, Mine Waste-119250 TPA) (Khasra No. 848/2, 848/3, 1111, 1118, 358, 847, 848/1, 849, 850, 851, 852, 854, 855, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 853, 1110, 1111, 1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114, 1115, 1116/1, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1119, 1120, 1121, 1122/1, 1122/2, 1122/3, 1122/4, 1125, 1126/1/1, 1126/1/2, 1126/2, 1126/3, 1123, 1127/1/1, 1127/1/2, 1127/2, 1127/3, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1128, 1124), Village-Chakariyadand, TehsilChitrangi, District-Singrauli (MP) . On-line Proposal No. 518793. For EIA.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की **768वी बैठक दिनांक 28.01.2025** में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया निम्ननुसार स्थिति पाई गई :–

I. **खनिज साधन विभाग द्वारा उक्त खदान का** Letter of Intent **दिनांक 14.09.2020 को जारी किया गया है जिसकी वैधता 03 वर्ष** (दिनांक 13.09.2023) **निर्धारित है** जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा वैध Letter of Intent प्रस्तुत किया जाये।

II. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा** EIA **प्रतिवेदन की** ToR **के बिन्दु क्रं.** (iii) **की** Compliance **के बारे में उल्लेख किया गया है कि लीज क्षेत्र के अंदर कोई भी रहवासी घर नहीं है, किन्तु** EIA **के बिन्दु क्रं. 7.3 में उल्लेख किया गया है कि** House Displacement **नहीं किये जायेंगे एवं** EIA **के** Schedule-1 **में उल्लेख किया गया है कि** House Displacement **के लिये प्रति परिवार 1.50 लाख रूपये दिये जायेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त तीनो तथ्यों में विरोधाभास है। इन तीन में से किस तथ्य को सही माना जावे ?** SEAC **समिति के कार्यवाही विवरण एवं गूगल ईमेज अनुसार लीज क्षेत्र के अंदर रहवासी घर परिलक्षित है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा** R&R Plan **प्रस्तुत करना था जो नहीं किया गया है।**

14/02/2025

(आर. उमामहेश्वरी) सदस्य सचिव	(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी) सदस्य	(शिव नारायण सिंह चौहान) अध्यक्ष

III. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा** EIA **प्रतिवेदन की** ToR **के बिन्दु क्र.** (vi) **की** Compliance **के पालन का उल्लेख नहीं है।**

IV. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा** EIA **प्रतिवेदन की** ToR **के बिन्दु क्र.** (xi & xii) **की** Compliance **नहीं किया गया है।**

V. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा** EIA **प्रतिवेदन की** ToR **के बिन्दु क्र.** (xix) **की** Compliance **नहीं किया गया है।**

VI. **परियोजना प्रस्तावक द्वारा** EIA **प्रतिवेदन की** ToR **के बिन्दु क्र.** (xxv) **की** Compliance **नहीं किया गया है।**

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्रमांक 553/2010 (Proposal No. SIA/MP/MIN/465874/2024)**— पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मन्जू सिंह लीगल हेयर स्व. श्री गोपाल शरण सिंह, पो. पुष्पराज नगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा चूनापत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), रकबा 23.90 हे. उत्पादन क्षमता 5,00,000 टन प्रतिवर्ष, एवं खसरा नं. 172पी, एवं 173पी, ग्राम रेवरा, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना (म.प्र.) को जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एरो एसोसियट्स, प्रो. श्री मनोज राय, निवासी– 01 पुष्पराज कॉलोनी, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर हस्तांतरण करने हेतु आवेदन बावत्।

उक्त प्रकरण पर विचार करने के लिये सदस्य सचिव, SEIAA द्वारा बताया गया कि प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग की अध्यक्षता में नीलाम मुख्य खनिज ब्लॉकों के पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों की निरंतर समीक्षा की जा रही है जिसकी सूची में उक्त प्रकरण भी सम्मलित है। खनिज साधन विभाग के पत्र क्रमांक 661 दिनांक 11.02.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि माननीय मुख्य सचिव, म.प्र. शासन की अध्यक्षता में नीलाम मुख्य खनिज ब्लॉकों की समीक्षा की जाना है। उपर्युक्तानुसार प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण का ऑनलाईन अवलोकन करने के लिये परिवेश पोर्टल पर देखा गया। परिवेश पोर्टल पर EC Rejected पाया गया। SEIAA द्वारा परियोजना प्रस्तावक के आवेदन पर विचार किया गया एवं विचार उपरांत पाया गया कि SEIAA द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1133–34 दिनांक 03.06.2024 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया गया था कि *"चूँकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समयावधि में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता विस्तार हेतु आवेदन नहीं किया गया है। अतः नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित प्रकरण को निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाता है कि परिवेश पोर्टल पर नवीन पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया जाये।"* अतः प्रश्नाधीन आवेदन पत्र को पुनः परीक्षण किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। SEIAA के उक्त आदेश दिनांक 03.06.2024 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक कार्यवाही करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सदस्य सचिव, SEAC को सूचित किया जाये।

<u>अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।</u>

(आर. उमामहेश्वरी) **सदस्य सचिव**	**(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)** **सदस्य**	**(शिव नारायण सिंह चौहान)** **अध्यक्ष**